उत्तराखण्ड राज्य में भवन निर्माण कार्यों हेतु डी0एस0आर0 2018 लागू किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 का कार्यवृत्त।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न डी0एस0आर0 2018 की दरों के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 की बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:—

1—सर्व श्री अमित नेगी, सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2—श्री हरिओम शर्मा, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3—श्री मुकेश मोहन, प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4—श्री वाई0डी0 पांडे, मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5—श्री के0पी0 उप्रेती, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
6—श्री एन0एस0 बिष्ट, मुख्य महाप्रबंधक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून।
7—श्री डी0के0 पचौरी, सलाहकार, राज्य योजना आयोग।
8—श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार, राज्य योजना आयोग।
9—श्री विक्रमसिंह बिष्ट, अधिशासी अभियंता, टी0ए0सी0 नियोजन विभाग।
10—श्री अनुपम राय, सहायक अभियंता, टी0ए0सी0 नियोजन विभाग।

सचिव, नियोजन द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अंतर्गत भवन निर्माण कार्यों हेतु डी0एस0आर0 दरें लागू किये जाने की व्यवस्था है। जिस हेतु डी0एस0आर0 का इंडेक्स मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, उत्तरी आंचल देहरादून द्वारा जारी किया जाता है। इन्हीं दरों एवं इंडेक्स के आधार पर भवन निर्माण की दरें उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू की जाती हैं।

2— वर्तमान में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2018 हेतु दरें जारी की गई हैं। तथा वर्ष 2018 में Index जारी नहीं किया गया है। जिसके कारण राज्य में डी0एस0आर0 2016 की दरें तथा 2016 के Index के आधार पर ही दरों का आंकलन कर प्राक्कलन गठित किये जा रहे हैं।

3— वर्ष 2018 की डी0एस0आर0 दरें जारी हो जाने के फलस्वरूप सामग्री/श्रमिक दरों में वृद्धि के दृष्टिगत अभियंत्रण विभागों द्वारा उक्त दरें लागू किये जाने हेतु लगातार अनुरोध किया जाता रहा है। इसी के क्रम में दिनांक 19—11—2019 को सचिव, नियोजन की अध्यक्षता में डी0एस0आर0 2018 को लागू किये जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई, बैठक में लोक निर्माण विभाग को डी0एस0आर0 2018 की दरें तथा 2016/2019 Cost Index लगाये जाने के संबंध में दरों का तुलनात्मक प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

4— वर्तमान में निर्माण कार्यों [illegible] संबंधित सामग्री दरों में वृद्धि हो जाने के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2018 की डी0एस0आर0 दरें तथा वर्ष 2019 में डी0एस0आर0 2018 की दरों को लागू किये जाने हेतु Cost Index जारी किया जा चुका है।

5— केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या—22(1)/Cost Index/मु0अ0 19 दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड के 37 बिन्दुओं में 61 स्थलों पर Cost Index जारी किये गये हैं।

क्रमश पृष्ठ—2/—

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष 04 JAN 2020 उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून

5- उपरोक्त के क्रम में प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 25-11-2019 को इस संबंध में बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी अभियंत्रण विभागों की संस्तुति सहित अपने पत्र संख्या-1148/54 अधिप्राप्ति/19 दिनांक 27-11-2019 द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसमें वर्ष 2018 डी0एस0आर0 पर वर्ष 2016 की Cost Index के आधार पर दरें तथा डी0एस0आर0 2018 पर 2019 के Cost Index के आधार पर दरों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें डी0एस0आर0 2018 की दरों पर वर्ष 2019 के Cost Index के आधार पर दरें अपेक्षाकृत न्यून होने के कारण संस्तुति की गई कि डी0एस0आर0 2018 पर 2019 के Cost Index को लागू किया जाना न्यायोचित होगा।

6- उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड राज्य में भवन निर्माण हेतु डी0एस0आर0 2018 की दरों पर वर्ष 2019 के Cost Index के आधार पर आगणन गठित किये जांय तथा उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-49/एक(04)/2018 दिनांक 16 फरवरी, 2018 को इस परिप्रेक्ष्य में संशोधित किया जाय।

अंत में मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही पूर्ण हुई।

ह0

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग,
(नियोजन विभाग)
संख्या- 22/139-रा0यो0आ0 (S.O.R.)/2019
देहरादून:दिनांक: 02, ~~दिसम्बर, 2019~~ जनवरी, 2020

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
2- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3- मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4- प्रबंध निदेशक, ब्रिडकुल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5- एक प्रति गार्ड फाइल हेतु।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पृष्ठांकन पत्र संख्या- 28/54 अधि०आ०वि०/20 दिनांक- 8-01-202

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय/रा०मा०/वर्ल्ड बैंक/पी०एम०जी०एस०वाई०/ए०डी०बी०/ पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि० अल्मोड़ा/पौड़ी/हल्द्वानी/दे

2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता ---- वृत्त, लो०नि०वि० ---- को अपने अधीनस्थ खण्डों को भी उक्त पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट

3- अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कि जाने हेतु प्रेषित।

IT head

4- पत्रावली संख्या- 10 एस०ओ०आर० हेतु

5- गार्ड पत्रावली हेतु।

15/02/20

08.1.2020
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून